क्रम-संख्या–209

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 01 सितम्बर, 2011

भाद्रपद 10, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1035/79-वि-1-11-1(क)-23-2011

लखनऊ, 01 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 30 अगस्त, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2011)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा–4 में, उपधारा (3) में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :–

"(ग) वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी।"

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :–

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक संगत वर्ष के प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 46.9 प्रतिशत, 45.1 प्रतिशत, 43.4 प्रतिशत एवं 41.9 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाय।"

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषतीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ग) और (च) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनाधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी और ऊपर निर्दिष्ट किये गये लक्ष्य तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी। उक्त अधिनियम में वर्ष 2017–18 की समाप्ति तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक पच्चीस प्रतिशत तक सरकार की कुल देन–दारियों में कमी करने की भी व्यवस्था हैं। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तारदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से, वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने और वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक बयालिस प्रतिशत तक कुल देन–दारियों में कमी करने हेतु संशोधन निरूपित किया गया है।

3–तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों हेतु राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण स्टाक के वर्षवार स्तरों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक की अवधि को समाविष्ट करते हुए राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विहित किया है। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन ऋण राहत अनुदान और किसी राज्य सरकार हेतु राज्य विनिर्दिष्ट अनुदान उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तदायित्व और बजट उत्पाद के प्रतिशत स्वरूप राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण स्टाक के इन वर्षवार स्तरों को सम्मिलित किये जाने और इन स्तरों को प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित है।

अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा विहित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1035(2)/LXXIX-V-1–11-1(Ka)23-2011
Dated Lucknow, September 01, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Dwitiya Sansodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 30, 2011 :–

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. Act no. 17 of 2011)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2011

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 in sub-section (3),-

(a) *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(c) maintain fiscal deficit at not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15."

(b) *for* clause (f) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(f) ensure that the total debt stock is maintained not more than 46.9 percent, 45.1 percent, 43.4 percent and 41.9 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

2. Clauses (a), (c) and (f) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, provide that the State Government shall reduce fiscal deficit to not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product within the period commencing on 1st day of April, 2004 and ending with the 31st day of

March, 2009, and reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years and the goal referred to above. The Act also provides for reducing total liabilities of the Government to not more than twenty five percent of Gross State Domestic Product by the end of the year 2017-18. Through the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011 an amendment for achieving revenue deficit and fiscal deficit reduction targets by the end of the year 2011-12 and reducing total liabilities to not more than forty two percent of Gross State Domestic Product by the end of the year 2014-15, has been incorporated.

3. On the basis of the recommendations of the Thirteenth Finance Commission, the Government of India has prescribed fiscal consolidation path for State Governments covering the period 2011-12 to 2014-15, specifying yearwise levels of revenue deficit, fiscal deficit and debt stock for different State Governments as percentages of estimated Gross State Domestic Product. Grant of dept relief and State specific grants to a State Government under the recommendations of the Thirteenth Finance Commission are linked to inclusion in the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 of these yearwise levels of revenue deficit, fiscal deficit and debt stock as percentages of Gross State Domestic Product and achieving these levels.

It has, therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 in pursuance of the fiscal consolidation path prescribed by the Government of India for Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,

K. K. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 345 राजपत्र (हि0)–2011–(847)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 97 सा० विधा0–2011–(848)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

345 RPH 2011_Vidhaika_2011_Data I